

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ- /1/सा.प्र.वि. /2020/355

भिलाई, दिनांक 17/03/2020

आदेश

श्री पुरुषोत्तम सिन्हा, उप अभियंता को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/सात/दो/भ.अ./2019/1765 भिलाई दिनांक 04.11.2019 के द्वारा श्री छविनाथ सिंग आ. स्व.बादल प्रसाद, प्लॉट नं. एमआईजी-2/27, सी.बी. कालोनी वार्ड क्रमांक 26 हाउसिंग बोर्ड के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 19.07.2019 में स्वीकृत अनुज्ञा का कवरेज 50 प्रतिशत है, किन्तु किया गया निर्माण अनुज्ञा कवरेज 61 प्रतिशत है, फिर भी उनके द्वारा BCC/NOC हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो कि अनुचित है। तदसंबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 21.11.2019 समाधानकारक नहीं है।

अतः छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1)(2)(3) के अनुसार कार्यवाही करते हुए श्री पुरुषोत्तम सिन्हा, उप अभियंता का आगामी दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोका जाता है।


(ऋतुराज रघुवंशी)
आई.ए.एस.

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 17/03/2020

पृ.क्रं./एफ- /1/सा.प्र.वि./2020/356
प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. उपायुक्त 1/2, नगर पालिक निगम, भिलाई। को सूचनार्थ।
3. भवन अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. स्टेनो टू आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रोग्रामर डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।
8. श्री पुरुषोत्तम सिन्हा, उप अभियंता नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. प्रमारी लिपिक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई